राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार

1. बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारकों, भामाशाहों एवं बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्थाओं के सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिये वर्ष 2021 हेतु राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी, संस्थागत श्रेणी एवं सामाजिक दायित्व श्रेणी में कुल 09 नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

2. नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम के तहत् पात्रता रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारकों, भामाशाहों तथा बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्थाओं से समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 23.08.2021 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

3. नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम की प्रति विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसमें पुरस्कार एवं आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है।

4. नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार हेतु आवेदन गूगल फॉर्म https://forms.gle/zk8eBXWvcY2o2cX46 के माध्यम से ऑनलाईन भरा जा सकता हैं।

5. **आवेदक को गूगल फॉर्म भरते समय निम्न दस्तावेजों को अपलोड़ करना आवश्यक है–**

व्यक्तिगत श्रेणी–

- मूल निवासी प्रमाण–पत्र की प्रति।
- पहचान प्रमाण–पत्र की प्रति। (आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर आई.डी/पासपोर्ट)
- कम से कम 07 वर्ष का बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यानुभव के प्रमाण–पत्र की प्रति।
- हितधारक (जिला बाल संरक्षण इकाई/चाईल्ड लाईन–1098) की स्थिति में कार्य–क्षेत्र में बाल संरक्षण हेतु किये गये विशिष्ट कार्य पर विस्तृत नोट।

संस्थागत श्रेणी–

- संस्था के पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति।

- कम से कम 05 वर्ष का बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यानुभव के प्रमाण–पत्र की प्रति।
- पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्था की स्थिति में संस्थान के आवासित बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण सुविधायें अथवा कोई नवाचार या सामुदायिक सहभागिता का प्रोत्साहन या पुनर्वास हेतु किये गये विशेष प्रयास पर विस्तृत नोट।
- पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सूचकों पर जारी ग्रेडिंग/प्रगति प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि लागू हो)।

सामाजिक दायित्व श्रेणी–

- बाल देखरेख सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में भामाशाह (कॉरपोरेट घराने (सी.एस.आर)/बैक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय दानदाता) द्वारा विशिष्ट सहयोग उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत नोट।
- स्थानीय दानदाता होने की स्थिति में पहचान प्रमाण–पत्र की प्रति। (आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर आई.डी/पासपोर्ट)
- कॉरपोरेट घराने (सी.एस.आर)/बैक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति।
-

6. आवेदक के अपूर्ण आवेदन/उपयुक्त जानकारी नहीं दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।